पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(पूर्व छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0)
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771–2263234
वेब साईट: www.cghealthuniv.com
ई मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/F-301 /NS- 05 /सामान्य प्रशा./D.U.H.S./2018/1218 रायपुर, दिनांक– 19-03-2018

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भवन का आदेश क्रं एफ 3–36/2017/नौ/55–4 दिनांक 27 जुलाई 2017 के परिपेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान (छटवा वेतनमान)	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा वर्षो में
1.	उपसंचालक (प्रथम श्रेणी)	15600–39100 +6600	अनारक्षित – 01	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा संकाय में स्नाकोत्तर उपाधी। 2. कम से कम 15 वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें सह –प्राध्यापक के रूप में 05 वर्ष का कार्य अनुभव शामिल हो। 3. राष्ट्रीय/ अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर 04 अनुसंधान प्रकाशित होना अनिवार्य है।	40 से 55
2.	सहायक प्राध्यापक/ व्याख्याता (द्वितीय श्रेणी)	15600–39100 +6600	अनारक्षित – 02, अनु.ज.जा.– 01, अ.पि.वर्ग – 01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी./एम.एस. या समकक्ष मेडिकल स्नाकोत्तर उपाधि एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य में 05 वर्ष का अनुभव।	30 से 50
3.	सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी)	15600–39100 +5400	अनारक्षित – 01	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा संकाय में स्नाकोत्तर उपाधि। 2. कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें सह प्राध्यापक/रीडर के रूप में 05 वर्ष का अनुभव शामिल हो। 3. कम से कम 02 रिसर्च प्रकाशन।	18 से 35
4.	सहायक परीक्षा नियंत्रक (द्वितीय श्रेणी)	15600–39100 +5400	अनारक्षित – 01	मेडिकल/डेंटल विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर उपाधि या समकक्ष।	18 से 55

सीधी भर्ती की पात्रता की शर्ते –

आयु : – (क) आयु का निर्धारण 01/01/2018 के अनुसार किया जावेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी ।

(ग)छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध मे भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हो, उच्चतर आयु सीमा में नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी :–

(i) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो, उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात जाएगा परंतु इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण : – शब्द "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो इस राज्य का या किसी भी संघटक ईकाईयों के अस्थायी शासकीय सेवा/विश्वविद्यालय सेवा 6 मास तक रहा हो।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरुप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय मे अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता ईकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रुप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जो अधिशिष्ट(सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किए गये हो और

(क) अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भरती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवोमुक्त कर दिया गया हो।

(iii) ऐसे कर्मचारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा की पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों, जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त कर्मचारी सम्मिलित हैं ।

(iv) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें संविदा अवधि समाप्त होने के कारण सेवानुमुक्त किया गया हो।

(v) ऐसे कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने से घाव आदि के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अर्तंजातीय विवाह प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा मे अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिक (वालेन्टरी होमगार्डस्) तथा नगर सैनिकों के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए, 8 वर्ष तक की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।